विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वाणिज्य सचिव श्री गोपाल के पिल्लई की अध्यक्षता में **21** सितंबर, **2006** को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री गोपाल के पिल्लई, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 21 सितंबर, 2006 को पूर्वाह्न 10.30 बजे अनुमोदन बोर्ड की बैठक हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है। **(**अनुबंध **I)**

2. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि हाल के समय में एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि राज्य को बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं और विकासकों को चाहिए कि वे बहुत बड़े आकार के एसईजेड के स्थान पर तर्कसंगत आकार के एसईजेड का निर्माण करें। उन्होंने टिप्पणी की कि एसईजेड के लिए भूमि के अधिग्रहण से किसानों को बेहतर क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी चाहिए। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि प्रत्येक राज्य की भूमि अधिग्रहण की अपनी नीति है और किसी खास परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लेते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस बात पर सबकी सहमति हुई कि जहां भी एसईजेड के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, ऊसर एवं बंजर भूमि के अधिग्रहण को वरीयता दी जानी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि भले ही एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करना अनिवार्य हो जाए, एक फसली भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और दोहरी फसल वाली भूमि का क्षेत्रफल एसईजेड के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

मद संख्या **1 :** एसईजेड की अधिसूचना में प्रगति

नोट किया गया कि अब तक 26 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस सूची में केवल एसईजेड की नई अधिसूचनाएं शामिल हैं तथा नोकिया एसईजेड के मामले में जारी की गई संशोधन अधिसूचनाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से एसईजेड की प्रगति की ध्यान से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि ऐसे सभी मामलों में अधिसूचना के लिए 30 दिन के अंदर पेपर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जहां औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इससे एसईजेड के यथाशीघ्र क्रियाशील होने का सुनिश्चय होगा। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि भूमि प्रयोग, शहरी विकास विभाग से स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि से संबंधित अनेक आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें समय लगता है। सुझाव दिया गया कि औपचारिक अनुमोदन तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब राज्य सरकार पूर्णत: संतुष्ट हो जाए और फिर वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए जाने की तिथि से

60 दिन के अंदर अधिसूचना के लिए पेपर क्लियर हो जाएं। अनुमोदन बोर्ड ने इससे सहमति व्यक्त की।

**मद संख्या 2 : एसईजेड में सामाजिक अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश**

अनुमोदन बोर्ड ने बैठक में परिचालित एसईजेड में सामाजिक अवसंरचना के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार किया गया, जो सीबीडीटी तथा सीबीईसी के परामर्श से तैयार किया गया है।

बैठक के दौरान सदस्य (आईटी), सीबीडीटी ने बताया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड केवल ऐसे प्रचालनों को अधिकृत कर सकता है जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत हैं। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की कि एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालनों की सूची को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। उन्होंने राय व्यक्त की कि अनुमोदन बोर्ड किसी एसईजेड द्वारा संचालित किए जाने के लिए केवल इन अधिसूचित अधिकृत प्रचालनों में से अधिकृत प्रचालनों को अनुमोदित कर सकता है। तद्नुसार, आईटी / आईटीईएस, बायोटेक तथा रत्न एवं आभूषण, क्षेत्र विशिष्ट और बहु उत्पाद एसईजेड में प्रचालनों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। यह अनुबंध 2 के रूप में प्रस्तुत है। निर्णय लिया गया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में एक प्रारूप अधिसूचना तैयार की जाएगी और वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिसूचित की जाएगी।

अनुमोदन बोर्ड ने सामाजिक अवसंरचना की मात्रा पर भी विचार विमर्श किया। कुछ सदस्यों की यह राय थी कि मात्रा का संबंध रोजगार से होना चाहिए। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने दलील दी कि एसईजेड में अवसंरचना का एसईजेड से भिन्न का प्रयोग नहीं हो सकता है। सूचित किया गया कि दो विभागों के बीच आधिकारिक स्तर पर बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है और यह कि उक्त चर्चा के आधार पर सामाजिक अवसंरचना दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड की विभिन्न श्रेणी के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ चिह्नित अवसंरचना सुविधाओं की मात्रा का निर्धारण किया। इसका ब्यौरा कार्यवृत्त अनुबंध 3 के रूप में संलग्न हैं।

मद संख्या **3 :** एसईजेड के लिए एसईजेड के लिए आवेदनों का चयन करने की कसौटी

**अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड विकासकों के अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित आंतरिक कसौटियों पर भी सहमति व्यक्त की।**

1. प्रमोटर कंपनी या ग्रुप की सभी कंपनियों एवं फ्लैगशिप कंपनियों का निवल मूल्य या न्यूनतम निवेश निम्नानुसार होना चाहिए :

   **a)** क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड **:**

   250 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश या 50 करोड़ रुपए का निवल मूल्य

   **b)** बहु उत्पाद एसईजेड **:**

   1000 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश या 250 करोड़ रुपए का निवल मूल्य

2. उपर्युक्त न्यूनतम निवेश या निवल मूल्य की कसौटी को पूरा न करने वाले प्रस्तावों पर इसके लिए पर्याप्त औचित्य के साथ अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।
3. ये कसौटियां राज्य औद्योगिक विकास निगमों आदि पर लागू नहीं होंगी।

मद संख्या **4 :** सैद्धांतिक अनुमोदन के फार्मेट के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने एजेंडा के साथ परिचालित मसौदा सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र पर विचार किया और इसमें अतिरिक्त शर्तें शामिल की गईं। यह खंड जोड़ने के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गई कि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास राज्य सरकार की आरआर नीति के अनुसार होगा। इस खंड को शामिल करते हुए प्रारूप अनुमोदन पत्र को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। जहां तक इन सैद्धांतिक अनुमोदनों की वैधता अवधि का संबंध है, 12 माह की एक समान आरंभिक वैधता अवधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है यदि आवेदक द्वारा समुचित औचित्य तथा कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया जाता है। सदस्य (सीबीडीटी) ने सुझाव दिया कि एसईजेड नियमावली 2006 में प्रोफार्मा शामिल किया जाना चाहिए।

**मद संख्या 5 : कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बात पर आम सहमति हुई कि नाम में परिवर्तन के मामले में, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तब तक अनुमोदन बोर्ड का कोई कार्य नहीं होता है और विधि मंत्रालय के

प्रतिनिधि द्वारा इसकी पुष्टि की गई। प्रशासनिक विभाग को परिवर्तित नाम को नोट करना होगा। निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों से तदनुसार निपटा जा सकता है और ऐसे परिवर्तनों के बारे में अनुमोदन बोर्ड को सूचना प्रदान की जा सकती है।

किसी एसपीवी में परिवर्तन सहित विकासक कंपनी में परिवर्तन के संबंध में, निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

***मद संख्या 6 : एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए अनुरोध***

एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए प्रस्तावों के संबंध में, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कानून के अनुसार, यदि प्रस्तावित क्षेत्र एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है तो इसे प्रशासनिक रूप से निपटा जा सकता है और अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। सदस्य (सीबीडीटी) ने बताया कि किसी अधिसूचित एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने का अधिकार अनुमोदन बोर्ड के पास है। सूचित किया गया कि कई बार विकासक अधिसूचना के समय एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन (बढ़ाने या घटाने) के लिए अनुरोध करते हैं।

उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए विभिन्न अनुरोधों को फाइल पर मंजूरी प्रदान की जा सकती है, यदि प्रस्ताव गैर अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में संशोधन के लिए है। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अधिसूचित हो जाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है।

मद संख्या **7 :** एसईजेड नियमावली से पूर्व प्रदान किए गए अनुमोदनों की पुष्टि के लिए प्रस्ताव तथा सैद्धांतिक अनुमोदनों को औपचारिक अनुमोदनों में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली से पूर्व प्रदान किए गए अनुमोदनों की पुष्टि के लिए प्रस्ताव तथा सैद्धांतिक अनुमोदनों को औपचारिक अनुमोदनों में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया। ऐसे 13 प्रस्तावों की सूची अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है जिनके लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। ऐसे 7 प्रस्तावों की सूची अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है जिन पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया है।

********

**21 □□□□□□□, 2017 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□**

अनुबंध **1**

**21 *सितंबर* 2006 *को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक के प्रतिभागियों की सूची***

| क्रम संख्या | नाम,<br>पदनाम एवं संगठन |
|---|---|
| **1.** | श्री ए भार्गव,<br>सदस्य, सीबीडीटी,<br>नार्थ ब्लाक,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **2.** | श्री देवेंद्र दत्त,<br>सदस्य (सीमा शुल्क),<br>सीबीईसी, नार्थ ब्लाक,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **3.** | श्री ओंकार नाथ,<br>महानिदेशक (निर्यात संवर्धन),<br>सीबीईसी,<br>होटल जनपथ, प्रथम तल,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **4.** | श्री बी के जुनेजा,<br>अपर महानिदेशक (निर्यात संवर्धन),<br>सीबीईसी,<br>होटल जनपथ, प्रथम तल,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **5.** | श्री दीपक गर्ग,<br>अवर सचिव (आईटीए-1),<br>सीबीडीटी, नार्थ ब्लाक,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **6.** | श्री दिनेश वर्मा,<br>सीबीडीटी,<br>नार्थ ब्लाक,<br>नई दिल्ली - 110 001 |
| **7.** | सुश्री नीरा सग्गी, |

| | |
|---|---|
| | विकास आयुक्त,<br>एसईईपीजेड,<br>मुंबई |
| **8.** | श्री अरुण कुमार बिट,<br>विकास आयुक्त,<br>फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>कोलकाता |
| **9.** | श्री एस सी पांडा,<br>विकास आयुक्त,<br>नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>नोएडा, उत्तर प्रदेश |
| **10.** | श्री सी जे मैथ्यू,<br>विकास आयुक्त,<br>कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>काकीनाडा, कोचीन |
| **11.** | श्री बी विजयन,<br>विकास आयुक्त,<br>मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>टंबारम, चेन्नई- 600045 |
| **12.** | डॉ. एम वी सुब्बा रेड्डी,<br>विकास आयुक्त,<br>विशाखापट्नम विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>विशाखापट्टम |
| **13.** | श्री उपेन्द्र वशिष्ठ,<br>संयुक्त विकास आयुक्त,<br>कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,<br>कांडला, गांधीधाम (कच्छ), गुजरात |
| **14.** | श्री टी पी सिंह,<br>उपायुक्त (उद्योग)<br>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,<br>उद्योग सदन, पटपड़गंज, दिल्ली – 110 092 |
| **15.** | श्री पी के संतरा,<br>उप विदेश व्यापार महानिदेशक, |

| | |
|---|---|
| | डीजीएफटी का कार्यालय,<br>उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 |
| **16.** | श्री अमिताभ जैन,<br>डीजीएफटी का कार्यालय,<br>नई दिल्ली - 110 011 |
| **17.** | श्री बी एस कृष्ण प्रसाद,<br>रेजीडेंट निदेशक,<br>कर्नाटक उद्योग मित्र,<br>वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कर्नाटक भवन,<br>खेल गांव मार्ग,<br>एंड्र्यूज गंज,<br>नई दिल्ली - 110 049 |
| **18.** | श्री पी के पधी,<br>अपर विकास आयुक्त, डीसी (एसएसआई),<br>भारत सरकार,<br>निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 011 |
| **19.** | श्री पी के चौधरी,<br>प्रधान सचिव (उद्योग),<br>हरियाणा सरकार, गुड़गांव |
| **20.** | श्री तानाजी सतरे,<br>संयुक्त सीईओ, एमआईडीसी,<br>महाराष्ट्र सरकार, मुंबई |
| **21.** | डॉ. के शिवाजी,<br>विकास आयुक्त (उद्योग),<br>महाराष्ट्र सरकार,<br>मुंबई |
| **22.** | श्री एस जी पाटील,<br>महाप्रबंधक (विपणन),<br>एमआईडीसी, महाराष्ट्र सरकार,<br>मुंबई |
| **23.** | श्री आर जे शाह,<br>एफसीआईए, गुजरात राज्य सरकार,<br>अहमदाबाद |

| | |
|---|---|
| **24.** | श्री एल बी सिंघल,<br>महानिदेशक,<br>100 प्रतिशत ईओयू और ईपीजेड निर्यात संवर्धन,<br>नई दिल्ली - 110 016 |
| **25.** | श्री आई श्रीनिवास,<br>सचिव (उद्योग),<br>उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर |
| **26.** | श्री अशोक मीना,<br>प्रबंध निदेशक, इडको,<br>उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर |
| **27.** | श्री एस के बंसल,<br>संयुक्त विकास आयुक्त,<br>इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर |
| **28.** | श्री ए पी पधी,<br>रेजीडेंट आयुक्त,<br>उड़ीसा सरकार, नई दिल्ली |
| **29.** | श्री एस मिश्र,<br>रेजीडेंट प्रतिनिधि,<br>गुजरात सरकार, अहमदाबाद |
| **30.** | श्री ध्रुव धर,<br>सीएसआईडीसी, नई दिल्ली |
| **31.** | श्री अशोक संपात्रम,<br>प्रधान सचिव (उद्योग),<br>राजस्थान सरकार, जयपुर |
| **32.** | श्री कुलदीप रांका,<br>प्रबंध निदेशक,<br>रीको, राजस्थान सरकार, जयपुर |
| **33.** | श्री जे एस नेगी, |
| **34.** | श्री के राजारमन,<br>विशेष सचिव, उद्योग विभाग,<br>तमिलनाडु सरकार, चेन्नई |
| **35.** | श्री रतन सिंह,<br>प्रबंध निदेशक, पीआईपीडीआईसी, पांडिचेरी |

| | |
|---|---|
| **36.** | श्री हेमपांडे,<br>वाणिज्य एवं उद्योग,<br>पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता |
| **37.** | सुश्री संध्या शुक्ल,<br>प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार<br>नई दिल्ली |
| **38.** | सुश्री गौरी सिंह,<br>निदेशक,<br>औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,<br>उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 011 |
| **39.** | श्री इंद्रजीत सिंह,<br>रेजीडेंट आयुक्त,<br>केरल सरकार, नई दिल्ली |
| **40.** | सुश्री रत्ना विश्वनाथन,<br>निदेशक,<br>रक्षा मंत्रालय,<br>साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011 |
| **41.** | श्री एस आर धलेटा,<br>विधि मंत्रालय,<br>शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001 |
| **42.** | श्री अजय पोनवाल,<br>एमआईडीसी, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई |

अनुबंध II

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए पात्र अधिकृत प्रचालनों की सूची

**(क)** आईटी / आईटीईएस**,** जैव प्रौद्योगिकी और रत्न एवं आभूषण एसईजेड **:**

i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल, साइनेज के साथ सड़कें

ii) जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल

iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र

iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क

v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि

vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं

vii) कार्यालय स्थान

viii) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)

ix) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं

x) वर्षा जल संचयन संयंत्र

xi) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)

xii) एयर कंडिशनिंग

xiii) स्वीमिंग पूल

xiv) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम

xv) क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं

xvi) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं

xvii) शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस

xviii) व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र

xix) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र

xx) आवास/ सर्विस अपार्टमेंट

xxi) खेल का मैदान

xxii) बस बे

xxiii) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

xxiv) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज

xxv) क्लीनिक एण्ड मेडिकल सेंटर

xxvi) वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं

xxvii) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

xxviii) (i) से (xxviii) तक उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रचालनों के लिए सहायक या आनुषंगिक कोई अन्य प्रचालन जिसे अनुमोदन बोर्ड समय समय पर अधिकृत कर सकता है।

**(ख)** क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड

i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें

ii) उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल

iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना, कचरा निस्तारण और सीवेज शोधन संयंत्र

iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क

v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां

vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं

vii) कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स

viii) आवास

ix) होटल / सर्विस अपार्टमेंट

x) क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल

xi) स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान

xii) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)

xiii) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं

xiv) व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र

xv) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र

xvi) वर्षा जल संचयन संयंत्र

xvii) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)

xviii) रेल हेड

xix) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली

xx) स्वीमिंग पूल

xxi) फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम

xxii) क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं

xxiii) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं

xxiv) खेल के मैदान

xxv) बस बे

xxvi) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

xxvii) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज

xxviii) वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं

xxix) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

xxx) (i) से (xxix) तक उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रचालनों के लिए सहायक या आनुषंगिक कोई अन्य प्रचालन जिसे अनुमोदन बोर्ड समय समय पर अधिकृत कर सकता है।

**(ग)** बहु उत्पाद एसईजेड

ii) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें

iii) उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल

iv) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना, कचरा निस्तारण और सीवेज शोधन संयंत्र

v) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क

vi) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां

vii) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं

viii) कार्यालय स्थान / शॉपिंग क्षेत्र / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स

ix) आवास

x) होटल

xi) क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल

xii) स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान

xiii) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)

xiv) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली

xv) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं

xvi) वर्षा जल संचयन संयंत्र

xvii) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)

xviii) स्वीमिंग पूल

xix) फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम

xx) एसईजेड के अंदर रेल हेड

xxi) पोर्ट

xxii) एयरपोर्ट / एयर कार्गो कम्प्लेक्स

xxiii) आईसीडी

xxiv) बैंक

xxv) क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं

xxvi) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं

xxvii) खेल के मैदान

xxviii) गोल्फ कोर्स

xxix) बस बे

xxx) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

xxxi) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज

xxxii) वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं

xxxiii) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

xxxiv) (i) से (xxxii) तक उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रचालनों के लिए सहायक या आनुषंगिक कोई अन्य प्रचालन जिसे अनुमोदन बोर्ड समय समय पर अधिकृत कर सकता है।

**21 [illegible], 2017** [illegible]

अनुबंध III

<u>विशेष आर्थिक क्षेत्रों के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक अवसंरचना की मात्रा</u>

<u>आईटी / आईटीईएस, जैव प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण एसईजेड :</u>

- शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस जो 1000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- हाउसिंग / सर्विस अपार्टमेंट जिसका कुल क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

<u>क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड :</u>

- कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स जो 50,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- 7500 तक मकान जहां कुल स्पेस 7,50,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- 100 कमरों के साथ होटल / 100 सर्विस अपार्टमेंट जहां कुल निर्मित क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- अधिकतम 100 बिस्तर वाला अस्पताल सहित क्लीनिक और चिकित्सा केंद्र
- स्कूल / शिक्षा संस्था जहां कुल निर्मित क्षेत्रफल 25,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा

**100** हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले आईटी **/** आईटीईएस**,** जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए भी उपर्युक्त दिशानिर्देश लागू होंगे।

<u>बहु उत्पाद एसईजेड</u>

- कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स आदि जो 200000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- 25000 तक मकान जहां कुल स्पेस 25,00,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- 250 कमरों के साथ होटल / 250 सर्विस अपार्टमेंट जहां कुल निर्मित क्षेत्रफल 25,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- अधिकतम 250 बिस्तर वाला अस्पताल सहित क्लीनिक और चिकित्सा केंद्र
- स्कूल / शिक्षा संस्था जहां कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,50,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा

अनुबंध **IV**

**31** सितंबर **2006** को अनुमोदन बोर्ड में प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन

| क्र. संख्या | विकासक | स्थान | उत्पाद | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड | रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | आईटी / आईटीईएस | 10.617 |
| **2** | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटीएंडसी) विभाग - हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) | सर्वे नंबर 239/240 (पी), कोकापेट गांव, शेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश | आईटी / आईटीईएस | 47.6 |
| **3** | डीएलएफ लिमिटेड | सेक्टर 30, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा | आईटी / आईटीईएस | 12.14 |
| **4** | पायनियर अर्बन लैंड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | गांव घाटा, गुड़गांव, हरियाणा, एनएच 8 से बहुत निकट | आईटी / आईटीईएस | 40.48 |
| **5** | डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड | सेक्टर नंबर 24 एवं 25ए, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा | आईटी / आईटीईएस | 12.54 |
| **6** | प्रिमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | बंगलौर, कर्नाटक | आईटी / आईटीईएस | 10.36 |
| **7** | कंकोर्ड इनवेस्टमेंट (बंगलौर) | बंगलौर, कर्नाटक | आईटी / आईटीईएस | 13.44 |
| **8** | सेरेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड | एयरोली, जिला थाणे, महाराष्ट्र | आईटी / आईटीईएस | 14.07 |
| **9** | महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) | मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र | बहु उत्पाद | 2086 |
| **10** | वेलस्पून अंजार एस ई जेड लिमिटेड | गांव वर्षामेदी, तालुक अंजर, महाराष्ट्र | टेक्सटाइल एवं कपड़ा क्षेत्र | 284 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | दिघी पोर्ट, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र | एफटीडब्ल्यूजेड के बहु उत्पाद इनक्लूसिव के लिए पोर्ट आधारित एसईजेड | 100 |
| **12** | पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड | इंदौर, मध्य प्रदेश | आईटी / आईटीईएस | 30.76 |
| **13** | पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड | सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तरांचल | आईटी / आईटीईएस | 14 |

अनुबंध V

**<u>21 सितंबर 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित प्रस्तावों की सूची</u>**

| क्र. संख्या | विकासक | स्थान | उत्पाद | क्षेत्र (हेक्टेयर में) | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड | रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | बायोटेक - फार्मा | 10.11 | भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है |
| 2 | के रहेजा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | पोचारम, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश | आईटी / आईटीईएस | 26.71 | भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है |
| 3 | शिवाजीमार्ग प्रापर्टीज लिमिटेड | 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली | आईटी / आईटीईएस | 10.06 | यह स्पष्ट नहीं कि अदालती मामलों का निपटारा हो गया है। |
| 4 | गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) | भद्रावती औद्योगिक क्षेत्र, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र | कैप्टिव पावर जनरेशन क्षेत्र विशिष्ट | 1100 | सीबीईसी ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए और समय प्रदान करने का अनुरोध किया। |
| 5 | गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) | उसार औद्योगिक क्षेत्र, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र | कैप्टिव पावर जनरेशन क्षेत्र विशिष्ट | 103 | सीबीईसी ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए और समय प्रदान करने का अनुरोध किया। |
| 6 | शपूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड | फुरसुंगी गांव, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र | आईटी / आईटीईएस | 15.79 | भूमि दूसरी सहायक कंपनी के नाम में है। भूस्वामी से आवेदन में |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संशोधन करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। |
| **7** | मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क (पुणे) लिमिटेड | पुणे, महाराष्ट्र | आईटी / आईटीईएस | 24 | राज्य सरकार ने आस्थगित करने के लिए अनुरोध किया। |